



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14696

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 552 वर्ष 2026

राम प्रसाद

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 7 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: विजय बहादुर यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता की दलीलें सुनी गईं।
2. आज पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. याचिकाकर्ता द्वारा इस रिट याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 2- अतिरिक्त आयुक्त न्यायिक प्रथम, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी को निर्देश दिया जाए कि वे भूमि राजस्व संहिता 2006 की धारा 207 के तहत लंबित मामले संख्या-00192/2020 कंप्यूटरीकृत मामला संख्या सी202014000000192 (रामबोध और अन्य बनाम रामशंकर और अन्य) का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर करें।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेख का अवलोकन किया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति से, यह रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित जाती है और प्रतिवादी संख्या 2 – अतिरिक्त आयुक्त, न्यायिक प्रथम, वाराणसी क्षेत्र, वाराणसी को निर्देश दिया जाता है कि वे उपरोक्त मामले का शीघ्रता से और कानून के अनुसार कड़ाई से निर्णय लें, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"